अनुबंध

अनुबंध-1.1

(पैरा सं. 1.2 एवं 6.3 के सन्दर्भ में)

एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित राजकोषीय नीति विवरणियों तथा प्रकटन प्रपत्र

राजकोषीय नीति विवरणियों	
मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण	एमटीएफपी विवरण में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित स्थिरता का मूल्यांकन, उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन करने हेतु बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों के प्रयोग सहित अन्तर्निहित अनुमानों की विशिष्टताओं के साथ जीडीपी के प्रतिशतता के रूप में तीन राजकोषीय संकेतकों, कर राजस्व तथा कुल बकाया देयताओं के लिए तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य है।
राजकोषीय नीति योजना विवरणी	एफपीएस विवरण में कर लगाने, व्यय, बाजार उधार और अन्य देयताओं, उधार और निवेश, प्रशासित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, प्रतिभूतियों तथा अन्य गतिविधियों के विवरण से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार की नीतियां शामिल हैं।
वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरणी	एमएफ विवरणी में अर्थव्यवस्था के अवलोकन का निर्धारण, जीडीपी में वृद्धि, भुगतान संतुलन के चालू खाते में प्रदर्शित अर्थव्यवस्था के केन्द्र सरकार और बाहय क्षेत्र संतुलन के राजकोषीय संतुलन शामिल है।
मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरणी	एमटीईएफ विवरणी मे अन्तर्निहित अनुमानों की विशिष्टताओं तथा निहित जोखिमों के साथ निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य शामिल हैं।

प्रकटीकरण विवरणियां

प्रपत्र संख्या	विवरण
डी-1	कर राजस्व एकत्रित किया गया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ
डी-2	गैर-कर राजस्व का बकाया
डी-3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी
डी-4	परिसंपत्ति पंजिका
डी-5	वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता
डी-6	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानें

अनुबंध-3.1

(ग्राफ़ 3.1, 3.2, 3.4 तथा पैरा 6.1.1 के संदर्भ में)

घाटा, जीडीपी तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जीडीपी*	वार्षिक वित्तीय विवरणी/संघ सरकार वित्त लेखे से प्राप्त					बजट-सार के अनुसार					राजकोषीय घाटे में अंतर
		राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय	राजस्व घाटा के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पर व्यय	राजस्व घाटा के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान,	
	1	2	3=2-5	4	5	6=5/2	7	8=7-10	9	10	11	12=4-9
2011-12	87,36,039 *आरई*2	3,94,918	2,93,687	5,17,881	1,01,231	25.6	3,94,348	2,61,766	5,15,990	1,32,582	33.6	1,891
2012-13	99,51,344 *आरई*2	3,64,582	2,48,872	4,94,514	1,15,710	31.7	3,64,282	2,48,572	4,90,190	1,15,710	31.8	4,324
2013-14	1,12,72,764 *आरई*2	3,57,303	2,27,465	5,03,230	1,29,838	36.3	3,57,048	2,27,630	5,02,858	1,29,418	36.2	372
2014-15	1,24,88,205 *आरई*1	3,66,228	2,35,468	5,15,948	1,30,760	35.7	3,65,520	2,34,760	5,10,725	1,30,760	35.8	5,223
2015-16	1,35,76,086 पीई	3,43,369	2,12,414	5,85,497	1,30,955	38.1	3,42,736	2,10,982	5,32,791	1,31,754	38.4	52,706

** मई 2016 में जारी जीडीपी (नई श्रृंखला) को अपनाया गया है। आरई- संशोधित अनुमान, पीई- प्रावधानिक अनुमान*

अनुबंध-3.2

(पैरा सं. 3.4.4.2 के संदर्भ में)

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों का आंकलन करने में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	वि.व. 2015-16 के अनुमान जैसा निम्न में उपलब्ध कराया गया।		अंतर	टिप्पणियां
		व्यय बजट खंड-I	डीडीजी		
	1	2	3	4=3-2	5
1.	वित्त - राज्य/यूटी सरकारों को अंतरण	शून्य	13,500.00	13,500.00	
2.	खाद्य प्रसंस्करण	शून्य	10.00	10.00	
3.	स्वास्थ्य अनुसंधान	शून्य	98.00	98.00	
4.	महिला एवं बाल विकास	शून्य	457.37	457.37	मंत्रालय ने दिसम्बर 2016 में सूचित किया कि ₹457.37 करोड़ के बीई को एमओएफ को सूचित किया गया था जिसे 2015-16 के व्यय बजट में शामिल नहीं किया गया था।
5.	नागर विमानन	80.00	122.40	42.40	मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2017) कि व्यय बजट के डाटा को प्रस्तुत करते हुए राशि भूलवश छूट गयी थी।
6.	पृथ्वी विज्ञान	55.90	31.27	(-)24.63	मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (मार्च 2017) कि डीडीजी में प्रदर्शित वस्तु शीर्ष 35 के अंतर्गत बीई 2015-16 की कम प्राप्ति के कारण अन्तर था।
7.	पर्यावरण एवं वन	126.06	125.80	(-)0.26	मंत्रालय ने बताया (मार्च 2017) कि डीडीजी में राशि का भूलवश अन्य वस्तु शीर्ष में दर्शाया गया था जिसका परिणाम विसंगति में हुआ।
8.	उच्चतर शिक्षा	6,156.42	6,962.31	805.89	
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,571.87	2,727.39	155.52	
10.	सूचना एवं प्रसारण	610.65	531.05	(-)79.60	
11.	विधि एवं न्याय	792.14	563.00	(-)229.14	
12.	विद्युत	5,149.94	5,280.00	130.06	

13.	पर्यटन	196.00	213.00	17.00	मंत्रालय ने फरवरी 2017 में अभ्युक्ति को स्वीकार किया
14.	शहरी विकास	5,859.49	58,34.21	(-)25.28	शहरी विकास मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।
15.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार	4,446.00	4,442.00	(-)4.00	मंत्रालय ने बताया (मार्च 2017) कि एमओएफ को सूचित ₹4442 करोड़ की राशि सही थी।
16.	पेट्रोलियम	50.00	2.00	(-)48.00	डीडीजी में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए ₹48 करोड़ का प्रावधान शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत था लेकिन व्यय बजट खण्ड-। में यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत दर्शाया गया था।
17.	डाक	331.65	शून्य	(-)331.65	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए वस्तु शीर्ष को डाक विभाग द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा था तथा ₹ 331.65 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान को पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया था।
18.	औषधि	शून्य	96.97	96.97	
19.	आवास और शहरी और गरीबी उन्मूलन	शून्य	4,086.41	4,086.41	मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।
20.	रक्षा मंत्रालय	शून्य	170.00	170.00	डीडीजी में प्रावधान किए गए थे लेकिन उन्हें व्यय बजट खण्ड । में शामिल नहीं किया गया था।
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का कुल कम आकलन					**19,569.62**
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का कुल अधिक आकलन					**742.56**
निवल प्रभाव					**18,827.06**

एमओएफ = वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग

अनुबंध - 4.1

(पैरा सं. 4.3.1 के संदर्भ में)

व्यय का गलत वर्गीकरण जैसा 2016 के सीएजी के प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा 4.4 में सूचित किया गया

क्र.सं	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष जिसमें व्यय गलत तरीके से दर्ज किया गया था	राशि (₹ करोड़ में)
(क) पैरा सं. 4.4.1- पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण				
1.	04- परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	10.71
2.		3401	51/52	11.26
3.	60- उच्चतर शिक्षा विभाग	2202	53	2.99
4.	66- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851	52	3.27
			कुल (क)	**28.23**
(ख) पैरा सं 4.4.2- राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	89- पोत-परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.64
2.		5052	50	0.35
3.	97 - पर्यटन मंत्रालय	5452	28	0.62
4.	103-लक्षद्वीप	4810	35	2.00
			कुल (ख)	**3.61**
(ग) पैरा सं. 4.4.3- राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	15-दूरसंचार विभाग	5275/4552	60	319.99
2.	21 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)	5054	53	1,600.25
3.	93- अंतरिक्ष विभाग		60/53/52	4.39
			कुल (ग)	**1,924.63**
(घ) पैरा सं. 4.4.3- पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	93- अंतरिक्ष विभाग		21/50	317.23
			कुल (घ)	**317.23**
			पूंजीगत व्यय (क + घ) को कम बताना	345.46
			पूंजीगत व्यय (ख + ग) को अधिक बताना	1,928.24
			पूंजीगत व्यय की निवल अत्युक्ति	**1,582.78**

अनुबंध-4.2

(पैरा सं. 4.3.2 के संदर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एकत्रित उदग्रहण/उपकर का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उदग्रहण/उपकर	एकत्र की गई प्राप्ति	निधि में अंतरण	कम अंतरण
1.	**सार्वभौमिक सेवा दायित्व** (यूएसओ) निधि का आधारभूत तार सेवाओं जैसे लोक दूर संचार तथा सूचना सेवाओं तथा ग्राम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन में पहुंच प्रदान करने, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, सार्वभौमिक सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए अप्रैल 2002 में गठन किया गया था। यूएसओ निधि को पूरा करने के लिए संसाधनों को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में 'सार्वभौमिक पहुंच उद्ग्रहण' के माध्यम से जमा करना था तथा बाद में विशेषकर कथित उद्देश्यों के प्रयोग हेतु भारत के लोक लेखे में गैर-व्यपगत यूएसओ निधि में अन्तरित करना था। (शीर्ष 8235.118)	9,835.70	3,100.00	6,735.70
2.	**राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा (एनसीई)** निधि 2010-11 में भारत में उत्पादित कोयला तथा आयातित कोयला पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगा कर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं नवीन परियोजनाओं के निधियन के लिए स्थापित की गयी थी। सीएफआई में जमा उपकर को बाद में लोक लेखा में एनसीई निधि में अंतरित कर दिया जाता है। (शीर्ष 8235.129)	12,675.60	100.00	12,575.60
3.	वर्ष के दौरान **फीचर फिल्म** पर एकत्रित उपकर तथा सीएफआई में जमा किये गये उपकर को लोक लेखा में सिने वर्कस कल्याण निधि में अन्तरित किया जाना था। (8229.115)	4.13	1.93	2.20
4.	वर्ष के दौरान **चाय** पर एकत्रित उपकर तथा सीएफआई में जमा किये गए उपकर को चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि को अन्तरित किया जाना था। (शीर्ष 8229.126)	60.12	शून्य	60.12
5.	वर्ष के दौरान **लौह अयस्क** पर एकत्रित उपकर तथा सीएफआई में जमा किए गए उपकर को खान कल्याण निधि में अन्तरित किया जाना था।	15.84	35.42	11.25
	वर्ष के दौरान **चूना पत्थर तथा डोलोमाइट** पर एकत्रित उपकर तथा सीएफआई में जमा किए गए उपकर को खान कल्याण निधि में अन्तरित किया जाना था। (शीर्ष 8229.00.114)	30.83		
6.	वर्ष के दौरान एकत्रित तथा सीएफआई में जमा किए गए **स्वच्छ भारत** उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अन्तरित किया जाना था। (शीर्ष 8235.135)	3,925.74	2,400.00	1,525.74
	कुल	**26,547.96**	**5,637.35**	**20,910.61**

अनुबंध-5.1

(पैरा सं. 5.2 के संदर्भ में)

वि.व. 2015-16 के लिए व्यय प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

व्यय के शीर्ष		वि.व. 15-16 के लिए प्रक्षेपण (वि.व 2014-15 के लिए एमटीईएफ विवरणी में)	2015-16 के एमटीईएफ में बीई	बीई 2015-16 में प्रतिशतता परिवर्तन (कॉल. 3 के संदर्भ में कॉल. 2)	वि.व 2016-17 के लिए एमटीईएफ विवरणी में 2015-16 के लिए आरई	आरई 2015-16 में प्रतिशतता परिवर्तन (कॉल. 5 के संदर्भ में कॉल. 2)
1		2	3	4	5	6
राजस्व व्यय						
वेतन		99,625	1,00,619	1.00	93,740	-5.91
ब्याज		4,68,431	4,56,145	-2.62	4,42,620	-5.51
पेंशन		90,154	88,521	-1.81	95,731	6.19
आर्थिक सहायता						
	उर्वरक	76,000	72,969	-3.99	72,438	-4.69
	खाद्य	1,20,000	1,24,419	3.68	1,39,419	16.18
	पेट्रोलियम	50,000	30,000	-40.00	30,000	-40.00
राज्यों को अनुदानों हेतु केंद्रीकृत प्रावधान		1,27,926	1,12,690	-11.91	1,06,679	-16.61
रक्षा		1,47,853	1,55,072	4.88	1,48,228	0.25
डाक घाटा		6,908	6,665	-3.52	6,749	-2.30
विदेश मामले		10,041	9,625	-4.14	9,674	-3.66
गृह		16,809	15,827	-5.84	16,471	-2.01
कर प्रशासन		12,988	18,627	43.42	19,591	50.84
वित्त		22,546	30,902	37.06	24,484	8.60
शिक्षा		76,762	55,916	-27.16	56,495	-26.40
स्वास्थ्य		34,259	26,110	-23.79	29,190	-14.80
सामाजिक कल्याण		38,671	25,142	-34.98	31,571	-18.36
कृषि और संबद्ध		30,416	22,206	-26.99	21,362	-29.77
वाणिज्य और उद्योग		16,178	14,030	-13.28	13,602	-15.92
शहरी विकास		15,588	13,259	-14.94	8,132	-47.83
ग्रामीण विकास		1,15,334	79,581	-31.00	90,319	-21.69
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास		2,348	2,187	-6.86	1,843	-21.51

योजना और सांख्यिकी	6,419	6,064	-5.53	5,668	-11.70
वैज्ञानिक विभाग	10,393	10,827	4.18	10,639	2.37
ऊर्जा	12,011	9,256	-22.94	10,310	-14.16
परिवहन	18,125	14,314	-21.03	21,286	17.44
आईटी और दूरसंचार	8,060	5,627	-30.19	11,789	46.27
यूटी	6,277	6,299	0.35	6,489	3.38
अन्य	34,237	23,148	-32.39	23,155	-32.37
राजस्व व्यय	**16,74,359**	**15,36,047**	-8.26	**15,47,673**	**-7.57**
जिनमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**3,01,598**	**1,10,551**	-63.34	**1,32,004**	**-56.23**
पूंजीगत व्यय					
रक्षा	1,08,776	98,176	-9.74	85,114	-21.75
गृह	14,275	9,349	-34.51	9,539	-33.18
वित्त	21,912	11,136	-49.18	32,316	47.48
स्वास्थ्य	3,483	934	-73.18	1,021	-70.69
वाणिज्य और उद्योग	1,637	1,657	1.22	1,022	-37.57
शहरी विकास	11,853	10,068	-15.06	10,636	-10.27
योजना और सांख्यिकी	1,113	375	-66.31	437	-60.74
वैज्ञानिक विभाग	5,273	3,615	-31.44	3,207	-39.18
ऊर्जा	9,904	6,107	-38.34	7,673	-22.53
परिवहन	69,767	75,873	8.75	63,105	-9.55
आईटी और दूरसंचार	5,352	2,738	-48.84	2,473	-53.79
राज्यों को ऋण	13,200	12,500	-5.30	12,500	-5.30
यूटी	2,244	1,946	-13.28	1,880	-16.22
अन्य	10,948	6,957	-36.45	6,794	-37.94
पूंजीगत व्यय	**2,79,738**	**2,41,430**	-13.69	**2,37,718**	**-15.02**
कुल व्यय	**19,54,096**	**17,77,477**	-9.04	**17,85,391**	**-8.63**